न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— सुमन शर्मा, आर.ए.एस.

वाद संख्या :— 58/2023

1. कोजूराम पुत्र कुंभाराम जाति मेघवाल निवासी गोंदूसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. मांगीलाल पुत्र पुरखाराम जाति बावरी निवासी पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. गोकुलराम पुत्र श्रवणराम जाति मेघवाल निवासी पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. पेमाराम पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू
3. पूर्णाराम पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू
4. नोरंगराम पुत्र लादूराम जाति मेघवाल निवासी पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू
5. कमला पत्नि धुडाराम जाति मेघवाल निवासी पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू
6. किशनाराम पुत्र धुडाराम जाति मेघवाल निवासी पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू
7. छोटू पुत्री धुडाराम जाति मेघवाल निवासी पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू
8. राजु पुत्री धुडाराम जाति मेघवाल निवासी पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू
9. उच्छव पुत्री धुडाराम जाति मेघवाल निवासी पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू
10. भंवरी पुत्री धुडाराम जाति मेघवाल निवासी पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू
11. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सुजानगढ जिला चूरू
12. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :—

1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीगण

—: निर्णय :—

दिनांकः— 3-7-2024

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 564 पांच सो चोसठ तादादी 7.1326 सात दशमलव एक तीन दो छः हेक्टेयर वाके रोही ग्राम पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी कोजुराम 10/141 दस बट्टा एक सो इकतालीस हिस्सा भूमि का व वादी मांगीलाल 5/94 पांच बट्टा चोरानवे हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। वादगत भूमि का मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक सलंग्न नजरी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

नक्शा अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस का खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादीगण को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने दिनांक 15.11.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादीगण को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादीगण को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस को वर्जित कराये कि वोह वादीगण को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादीगण को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस की ऐलानियां धमकियां से वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 12 बारह के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादीगण संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीगण निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पैरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी वकील की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहते है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीगण का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम पारेवड़ा के खसरा संख्या 564 तादादी 7.1326 हेक्टेयर भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी कोजुराम का 10/141 हिस्सा व वादी मांगीलाल का 5/94 हिस्सा है। तहसीलदार बीदासर से केवल वादीगण का मौका पर कब्जा काश्त अनुसार अलग–अलग विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 09-7-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

प्रारम्भिक डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास सुमन शर्मा, आर.ए.एस.
कोजुराम बनाम गोकुलराम आदि
दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न.:– 58/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु..........हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम पारेवडा के खसरा संख्या 564 तादादी 7.1326 हेक्टेयर भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी कोजुराम का 10/141 हिस्सा व वादी मांगीलाल का 5/94 हिस्सा है। तहसीलदार बीदासर से केवल वादीगण का मौका पर कब्जा काश्त अनुसार अलग–अलग विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज................मुबलिग.....................बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह............ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक...............................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....03-07-2024.

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा बीदासर (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)